छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक 1708/पंग्राविवि/22/2012 रायपुर, दिनांक 21/02/2012

प्रति,

कलेक्टर
सह अध्यक्ष, WCDC
जिला–समस्त,
छत्तीसगढ़।

विषयः– एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) परियोजना अंतर्गत सचिव, माइक्रो वाटरशेड की संविदा नियुक्ति के संबंध में दिशा–निर्देश।

––00––

SLNA की चतुर्थ बैठक दिनांक 20.10.2011 के एजेण्डा क्रमांक–6(ग) पर लिये गये निर्णय तथा वित्त विभाग, छ.ग. शासन के यु.ओ. क्रमांक 75/सी.एन/00002478/बजट–2/वित्त/चार/2012, दिनांक 13.02.2012 में प्रदत्त अनुमोदन अनुसार, भारत सरकार द्वारा जारी समान मार्गदर्शी सिद्धांत 2008 के परिपालन में, एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक स्वीकृत कुल 1857 माइक्रो वाटरशेड हेतु सचिव, माइक्रो वाटरशेड के कुल 1857 संविदा पद स्वीकृत किये गये है।

अतएव तद्नुरूप जिले के समस्त IWMP परियोजनाओं में परियोजना अवधि तक के लिए प्रत्येक माइक्रो वाटरशेड में एक सचिव, माइक्रो वाटरशेड कमेटी के पद पर रु. 2500/– एकमुश्त मासिक संविदा वेतन में संविदा नियुक्ति की स्वीकृति दी जाती है। इस पद में नियुक्ति हेतु शैक्षणिक अर्हता, चयन प्रक्रिया एवं उत्तरदायित्व "परिशिष्ट–1" में संलग्न है।

2. सचिव, माइक्रो वाटरशेड के वेतन व अन्य व्यय परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी के प्रशासकीय मद से किया जाएगा। परियोजना प्रबंधक, WCDC तथा PIA द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परियोजना स्तर पर होने वाले व्यय परियोजना में प्रावधानित प्रशासकीय व्यय की सीमा से अधिक न हो।
3. परियोजनाओं में पूर्व से नियत मानदेय पर कार्यरत् सचिव, माइक्रो वाटरशेड को उपरोक्त एकमुश्त मासिक संविदा राशि की पात्रता नहीं होगी।
4. सचिव, माइक्रो वाटरशेड के उपरोक्त संविदा पद पर नियुक्ति उपरांत परियोजना में पूर्व से नियत मानदेय पर कार्यरत् सचिव, माइक्रो वाटरशेड की नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जायेगी।

(प्रमुख सचिव द्वारा अनुमोदित)

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

जे.एन. अवस्थी

(जे.एन. अवस्थी)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्रमांक 1709 /पंग्राविवि/22/2012 रायपुर, दिनांक 21/02/2012

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, मान.मंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
2. प्रमुख सचिव वित्त विभाग,छ.ग. शासन डी. के. एस. भवन मंत्रालय, रायपुर।
3. विकास आयुक्त, विकास आयुक्त कार्यालय, विकास भवन, सिविल लाईन, रायपुर।
4. संभाग आयुक्त, राजस्व संभाग, बिलासपुर/रायपुर/बस्तर/सरगुजा, छत्तीसगढ़।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, SLNA, विकास आयुक्त कार्यालय, रायपुर।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत–......................छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग